UPJB010040072025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी) एक्ट, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती शैलजा राठी(उच्चतर न्यायिक सेवा)

उमा ताण्डी बनाम प्रहलाद आदि।

परिवाद सं०– 58/2025

थाना–बछरायूं , जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः-03.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। बार-बार पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित, न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा न ही उसकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में बयान अंतर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 24.07.2025 को अंकित किया जा चुका है तथा साक्षी सी0 डब्लू0-1 का साक्ष्य अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. दिनांक 12.09.2025, सी0 डब्लू0-2 का साक्ष्य अंतर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. दिनांक 29.09.2025 को अंकित कराया गया था। पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु नियत है, किन्तु कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली में अनेक बार अन्तिम अवसर दिया जा चुका है।

2. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से सुनवाई के स्तर पर नियत है। पत्रावली में अनेक बार अन्तिम अवसर दिया जा चुका है। पत्रावली में परिवादिनी न ही स्वयं उपस्थित आ रही है और न ही जरिये अधिवक्ता कोई हाजिरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में परिवादिनी ने स्वयं को अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में और साक्षीगण को अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. में परीक्षित कराया हैं तत्पश्चात् परिवादिनी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। अतः परिवादिनी उमा ताण्डी की अनुपस्थिति में परिवादिनी का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी उमा ताण्डी का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

शैलजा राठी
Id. No:–UP2643
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अमरोहा।

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.08.03 17:08:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court